भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*अतारांकित प्रश्न संख्या 12.*

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए निधियों का आवंटन'**

**12. श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए पर्याप्त निधि आवंटित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस संबंध में योजना आयोग से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क), (ख), (ग) और (घ) गुजरात राज्य सरकार से एशियाई शेर संरक्षण परियोजना से संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अग्रसारित कर दिया गया था । योजना आयोग ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुपालन में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी । योजना आयोग ने इस परियोजना की सहायता हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं करायीं और मंत्रालय को सलाह दी कि इसे 'वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए आबंटित बजट में से ही सहायता दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की कमी के बावजूद परियोजना के पहले वर्ष के दौरान प्रस्तावित कार्यकलापों का भाग शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान गुजरात सरकार को 674.541 लाख रूपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की थी ।

\*\*\*\*\*\*\*